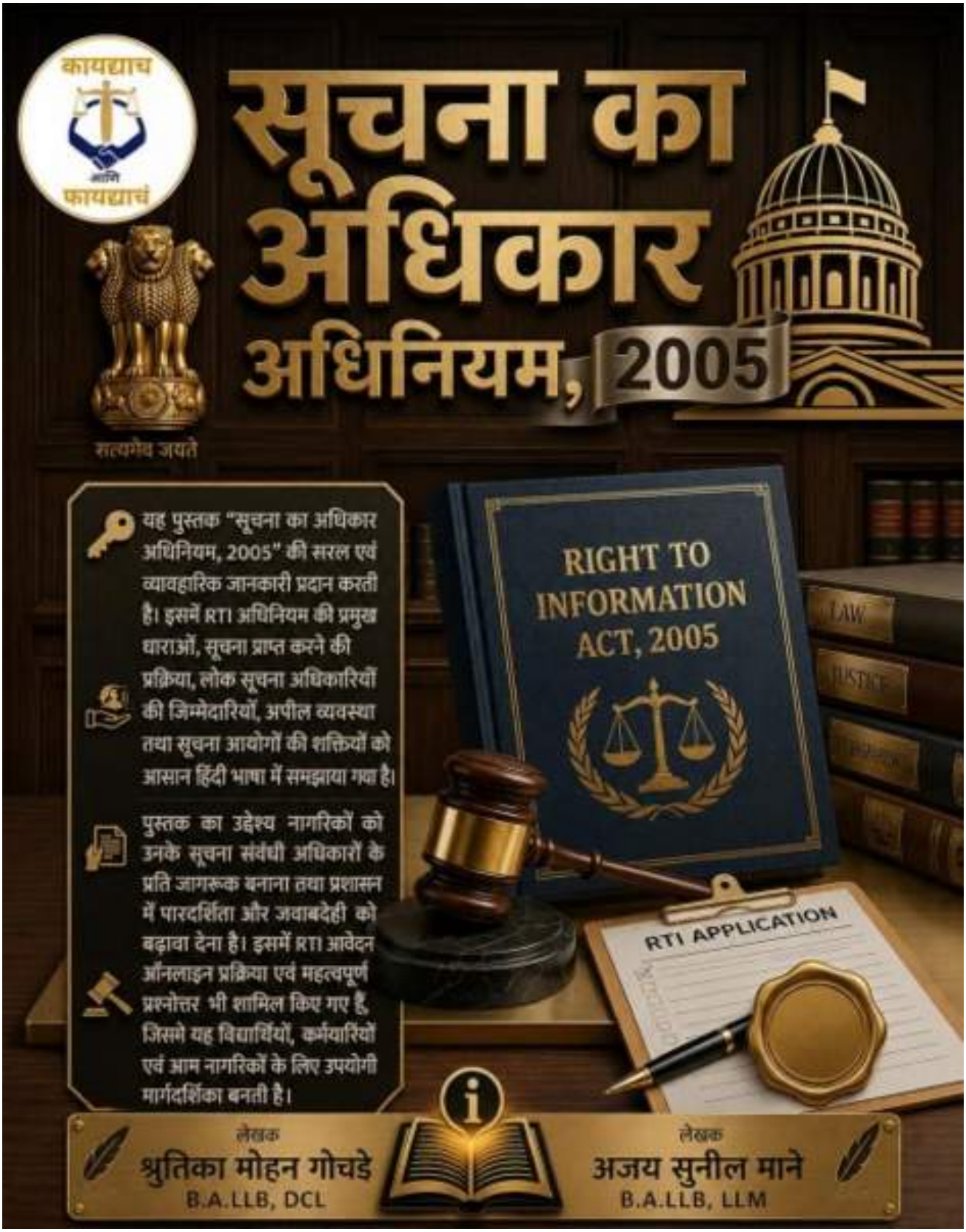

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
सत्यमेव जयते
यह पुस्तक "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की सरल एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करती है। इसमें RTI अधिनियम की प्रमुख धाराओं, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, लोक सूचना अधिकारियों की जिम्मेदारियों, अपील व्यवस्था तथा सूचना आयोगों की शक्तियों को आसान हिंदी भाषा में समझाया गया है।
पुस्तक का उद्देश्य नागरिकों को उनके सूचना संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इसमें RTI आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी शामिल किए गए हैं, जिससे यह विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका बनती है।
RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005
LAW
JUSTICE
RTI APPLICATION
लेखक
श्रुतिका मोहन गोचडे
B.A.LLB, DCL
लेखक
अजय सुनील माने
B.A.LLB, LLM

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, 2005) [15 जून, 2005]

यह पुस्तक “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” की सरल एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करती है। इसमें RTI अधिनियम की प्रमुख धाराओं, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, लोक सूचना अधिकारियों की जिम्मेदारियों, अपील व्यवस्था तथा सूचना आयोगों की शक्तियों को आसान हिंदी भाषा में समझाया गया है।

पुस्तक का उद्देश्य नागरिकों को उनके सूचना संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इसमें RTI आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी शामिल किए गए हैं, जिससे यह विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका बनती है।

प्रस्तावना

लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जागरूक नागरिकों में निहित होती है। जब नागरिकों को यह जानने का अधिकार मिलता है कि सरकार और उसके विभाग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तब पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूती मिलती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” लागू किया गया, जिसने प्रत्येक नागरिक को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच का अधिकार प्रदान किया।

यह पुस्तक RTI अधिनियम को सरल और सहज भाषा में समझाने का एक प्रयास है। अक्सर कानूनी भाषा आम पाठकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए कठिन हो जाती है। इसलिए इस पुस्तक में अधिनियम की धाराओं, प्रक्रियाओं, अपील व्यवस्था, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली तथा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को आसान हिंदी में प्रस्तुत किया गया है, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के अपने अधिकारों को समझ सके।

यह पुस्तक केवल कानून की जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पाठकों को जागरूक, सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी करती है। आशा है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा आम नागरिकों सभी के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगी।

पुस्तक के उद्देश्य

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को सरल और आसान भाषा में समझाना।
- नागरिकों को उनके सूचना प्राप्त करने के अधिकार के प्रति जागरूक बनाना।
- RTI आवेदन करने की सही प्रक्रिया की जानकारी देना।
- लोक सूचना अधिकारियों (PIO) और अपील प्रक्रिया को स्पष्ट करना।
- RTI से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों, समय-सीमा और प्रावधानों को समझाना।
- ऑनलाइन RTI पोर्टल और आवेदन प्रणाली की जानकारी प्रदान करना।
- विद्यार्थियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका उपलब्ध कराना।
- प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सहायता करना।
- नागरिकों को जागरूक और जिम्मेदार भागीदारी के लिए प्रेरित करना।

लेखक

श्रुतिका मोहन गोचडे

अजय सुनील माने

संपर्क:

: ७२६३८८९२९२

: कायद्याचं आणि फायद्याचं

ईमेल: asconsultancy69@gmail.com

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकरणों की बाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार।
4. लोक प्राधिकरणों की बाध्यताएं।
5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम।
6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध।
7. अनुरोध का निपटारा।
8. सूचना के प्रकटन से छूट।
9. कतिपय मामलों में पहुँच के लिए अस्वीकृति के आधार।
10. पृथक्करणीयता।
11. पर व्यक्ति सूचना।

अध्याय 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन।
13. पदावधि और सेवा शर्तें।
14. सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना।

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

15. राज्य सूचना आयोग का गठन।
16. पदावधि और सेवा की शर्तें।
17. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना।

अध्याय 5
सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

18.सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य।

19.अपील।

20.शास्ति।

अध्याय 6
प्रकीर्ण

21.सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

22.अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

23.न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

24.अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना।

25.मॉनीटर करना और रिपोर्ट करना।

26.समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना।

27.नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति।

28.नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति।

29.नियमों का रखा जाना।

30.कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

31.निरसन।

प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, तथा नागरिकों को सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में उपलब्ध सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का व्यावहारिक